आयकर अपीलीय अधिकरण,
इंदौर (एकल सदस्यीय प्रकरण) न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ .सं.अ.275/इंदौर/ 2024
निर्धारण वर्ष : 2017-18

रविन्द्र वर्मा, शाहबाद मोहल्ला, हनुमान मंदिर के पास, कसरावद, जिला खरगोन	बनाम	आयकर अधिकारी खरगोन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं. एएनओपीवी 3929 एल PAN - ANOPV3929L		

अपीलार्थी की ओर से :	श्री मिलिंद वाधवानी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :	08.08.2024
उद्धघोषणा तिथि :	09.08.2024

आदेश

श्री मनीष बोरड लेखा सदस्य द्वारा ,

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील), नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.02.2024 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई हैं ।

2. इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में विद्वान निर्धारण अधिकारी इसी तरह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती के विरूद्ध एक पक्षीय (Ex Parte) आदेश पारित किए गए हैं । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती के अधिवक्ता न तो विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए न ही कोई संबंधित दस्तावेज/ निवेदन दाखिल किए । अतः निर्धारिती के अधिवक्ता की भूल का परिणाम निर्धारिती को भुगतना पड़ा और

निर्धारण अधिकारी द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 69ए के अधीन peak credit लेखे परिवर्धन करने में भूल की है क्योंकि नकद में प्राप्त जमा सत्यापनीय है अतः peak credit लेखे परिवर्धन की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त विद्वान निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के व्यवसाय की प्रकृति को निर्धारित करने में असफल रहे है तथा कुल प्राप्तियों को व्ययसाय प्राप्तियां मानने में भूल की है । निर्धारिती द्वारा बैंक के माध्यम से प्राप्त एवं भुगतान की गई रशियां एक एजेंट के रूप में प्राप्त एवं भुगतान की गई है तथा उसे केवल कमीशन आय प्राप्त हुई है । अतः निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि निर्धारिती को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाए तथा इस अपील को नये सिरे से न्यायनिर्णयण हेतु विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि इस अपील को विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाता है। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं न्यायपूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए मैं इस मामले को निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उचित न्यायनिर्णयन हेतु विद्वान क्षेत्राधिकार (jurisdictional) निर्धारण अधिकारी की फाईल में वापिस भेजना उचित समझता हूँ । मैं तद्नुसार आदेश करता हूँ । निर्धारिती को भी विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाईयों में भाग लेना सुनिश्चित करने और अनावश्यक स्थगन नहीं मांगने का निदेश दिया जाता है ।

3. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 09.08.2024 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

दिनांक : 09.08.2024

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल